भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1486
09 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स

1486 श्री विवेक के. तन्खाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में कोई भी भारतीय शहर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स (विश्व में रहने योग्य अच्छे शहरों की सूची) में नहीं है, मंत्रालय द्वारा मल-जल निकासी, पेयजल और चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) चूंकि भारत आर्थिक विकास की दिशा में अग्रसर है, सरकार की शहरों को अधिक रहने योग्य बनाने और वैश्विक मंच पर शहरों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में किस प्रकार वृद्धि करने की योजना है; और

(ग) यह सुनिश्चित करते हुए कि भारतीय शहर संधारणीयता, सुगम्यता और जीवन की गुणवत्ता के वैश्विक मानकों को पूरा करें, भारतीय शहरों को रहने हेतु समग्र रूप से अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कौन-कौन से ठोस उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है तथा शहरों/कस्बों में जल, सीवरेज और सेप्टेज प्रणाली का प्रबंधन राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारें सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच समन्वय सहित शहरी परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर की आयोजना, शुरुआत और विकास करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। भारत सरकार योजनाबद्ध कार्यक्रमों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के

प्रयासों में सहायता करती है। सरकार भारतीय शहरों की जीवन-शैली में सुधार करने के उद्देश्य से शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसे 25 जून 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (15 शहरों के विलय सहित 485 शहर) और कस्बों में शुरू किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य चयनित शहरों और कस्बों में जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित क्षेत्र और पार्क तथा गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है, जिसका परिव्यय 1 लाख करोड़ रु. है। 77,640 करोड़ रु. के आवंटन के सापेक्ष 83,371 करोड़ रु. से अधिक की परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। अमृत मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, लक्षित 139 लाख जल नल कनेक्शनों और 145 लाख सीवर कनेक्शनों के सापेक्ष अमृत और कन्वर्जेन्स के माध्यम से क्रमशः 189 लाख जल नल कनेक्शन और 149 लाख सीवर कनेक्शन [फिकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन के माध्यम से कवर किए गए आवासों सहित (एफएसएसएम)] प्रदान किए गए हैं।

शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाने के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों/शहरों में 01 अक्टूबर, 2021 को अमृत 2.0 की शुरुआत की गई है। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है। जलाशयों का पुनरुद्धार, हरित क्षेत्रों और पार्कों का विकास आदि मिशन के अन्य घटक हैं। अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय 2,77,000 करोड़ रुपये है, जिसमें पांच वर्षों के लिए 76,760 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता शामिल है। अमृत 2.0 के तहत, अब तक जल और सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र के तहत 1,14,073.65 करोड़ रुपये की लागत वाली 3,596 जलापूर्ति परियोजनाएं और 68,198 करोड़ रुपये की लागत वाली 595 परियोजनाएं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई हैं, जिससे लगभग 1.81 करोड़ नए नल कनेक्शन, 10,679 एमएलडी जल शोधन क्षमता, 1.25 लाख किमी जल नेटवर्क, 1.51 करोड़ नए/सर्विस सीवर कनेक्शन, 35,865 किमी सीवरेज नेटवर्क और 6784 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता में वृद्धि होगी।

विद्युत मंत्रालय ने सूचित किया है कि वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से पुन:स्थापित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की गई है, जिसका परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है और केंद्र सरकार से अनुमानित सकल बजटीय

सहायता (जीबीएस) 97,631 करोड़ रुपये है। इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं (i) प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग तथा डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन और (ii) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा अन्य समर्थक और सहायक गतिविधियाँ।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006, मेट्रो रेल नीति, 2017 और पारगमन उन्मुख विकास नीति, 2017 जैसी नीतियां तैयार की हैं, जो राज्य सरकारों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं ताकि शहरी परिवहन प्रणालियों की योजना बनाई जाए और उन्हें सबसे स्थायी और व्यवहार्य तरीके से लागू किया जाए। लगभग 993 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइनें चालू हो गई हैं और अन्य 971 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइनों का निर्माण कार्य अलग-अलग शहरों में विभिन्न चरणों में है। मेट्रो रेल प्रणाली एक प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा कुशल मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) है जो तीव्र, सुरक्षित, आरामदायक, समयनिष्ठ और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली प्रदान करके शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण रूप से सहायता प्रदान करती है। एमआरटीएस नेटवर्क का विस्तार न केवल रोजगार और व्यापार के अवसरों को बढ़ा रहा है, बल्कि बेहतर मोबिलिटी प्रदान करके शहरी आबादी की जीवन रेखा का भी कार्य कर रहा है।

इसके अलावा मंत्रालय ने भारतीय शहरों में सार्वजनिक परिवहन के साधनों की भागीदारी बढ़ाने के लिए पीएम-ई-बस सेवा योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाकर बस संचालन को बढ़ाना और संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सहायता प्रदान करना है।
